



नागरिकों के जीवन को
सुगम बनाने
की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार के
प्रयास

**Initiatives of Himachal Pradesh
Government for Improving
Ease of Living
In Himachal Pradesh**

योजना विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002. [<https://hpplanning.nic.in>]

साराँश

भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार कई कल्याणकारी कदमों के लिए प्रयासरत है। सरकार अपने सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने और संसाधनों का समुचित उपयोग के लिए प्रयत्नशील है। कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रदेश सरकार आर्थिक एवम् सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राज्य सरकार प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सभी कल्याणकारी नीतियों/योजनाओं को निष्ठापूर्वक लागू कर रही है ताकि आम जनता को इन सभी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँच सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 17 जून, 2018 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में दिए संदेश के आधार पर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेशवासियों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिये 100 प्रयासों (Steps) को चिन्हित कर अन्तिम रूप देने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था।

फलस्वरूप राज्य सरकार के ऐसे सभी प्रयासों जो प्रदेशवासियों के जीवनयापन को सुविधाजनक व सरल बनाने के साथ-साथ उनकी दिनचर्या से सीधे जुड़े हों, की सूचना इस समिति के माध्यम से संकलित किया गया। इनमें से कुछ प्रयासों से होने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभों को मापा नहीं जा सकता है, अतः इन प्रयासों से प्राप्त लाभों का गुणात्मक आकलन ही सम्भव है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई अनेक योजनाओं के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने भी कई प्रयास आरम्भ किये हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे सभी प्रयासों से सभी नागरिकों को मिलने वाले लाभों को संकलित किया गया है।

संयुक्त रूप में ऐसे सभी प्रयासों का उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं में सुधार करना और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। शासन में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पर आधारित प्रयासों को भी आरम्भ किया गया है।

आशा है कि प्रदेश सरकार के यह प्रयास प्रशासन को और उत्तरदायी, पारदर्शी व प्रदेश वासियों के लिये अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। यह संकलन सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये प्रेरित करने में भी अहम् भूमिका निभाएगा।

योजना विभाग
हि0प्र0 सरकार,
शिमला-171002.

तलिका

क्रं. सं.	विवरण	पृष्ठ
	जीवनयापन में सुगमता [Ease of Living]	1
1	स्वास्थ्य	2-4
	1.1 प्रसूति गृह की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल	
	1.2 प्रसव पूर्व माताओं/गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएँ	
	1.3 निजी क्षेत्र की भागीदारी	
	1.4 मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष	
	1.5 मुख्यमंत्री निरोग योजना	
	1.6 विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयों/कॉर्नरों की स्थापना	
	1.7 हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम	
	1.8 ऑनलाइन ब्लड बैंक प्रबन्धन प्रणाली	
	1.9 टैलिमैडिसिन परियोजना	
	1.10 ई-अस्पताल सुविधा	
	1.11 अस्पताल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (HMIS)	
	1.12 सुगम्य भारत अभियान	
2	राजस्व क्षेत्र	5-6
	2.1 भू-रिकार्ड का डिजिटलीकरण	
	2.2 भू-अधिकारों का ऑनलाइन रिकार्ड (जमाबंदी)	
	2.3 राजस्व डीइस का ऑनलाइन पंजीकरण	
	2.4 ई-स्टॉपिंग सिस्टम	
	2.5 ई-प्रमाणपत्र	
	2.6 भूमि-अभिलेखों से सम्बन्धित सेवाएं घर-द्वार के समीप उपलब्ध करवाना	
	2.7 राजस्व से सम्बन्धित न्यायिक मामलों की मॉनिटरिंग के लिए प्रणाली	
3	पॉवर क्षेत्र	7
	3.1 ऑनलाइन पोर्टल	
	3.2 प्रक्रियाओं का सरलीकरण	
	3.3 बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए समय सीमा में कमी	
	3.4 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण	
4	नगर एवं ग्राम योजना	8
	4.1 भवन निर्माण अनुमति के लिए वेब पोर्टल	
	4.2 मोबाईल ऐप	
	4.3 एरिया चैक मोबाइल ऐप	
	4.4 टोल फ्री नम्बर	
	4.5 विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत Professional की निर्देशिका	
	4.6 माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	
5	परिवहन क्षेत्र	9-10
	5.1 इलेक्ट्रिक बसों एवं टैक्सियों को प्रोत्साहन	
	5.2 कैशलेस परिवहन कार्यालय	
	5.3 राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए चेकपोस्ट समाधान	
	5.4 ई-चालान सुविधा का आरम्भ	
	5.5 डीलर प्वाँइट पंजीकरण प्रणाली	
	5.6 “हार्न नही” अभियान	
	5.7 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की स्थापना	
	5.8 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	

क्रं. सं.	विवरण	पृष्ठ
	5.9 बसों में स्वाइच/टैप मशीनों का उपयोग	
	5.10 गतिशील स्वचलित वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन स्टेशनों की स्थापना	
	5.11 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में रोपवे एवं अन्य परिवहन प्रणाली की स्थापना	
6	लोक निर्माण	11-12
	6.1 ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव एवं अनुरक्षण	
	6.2 स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर	
	6.3 ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर सुधार करना	
	6.4 जन/लोक शिकायतों के निवारण के लिए मोबाइल ऐप	
	6.5 थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र	
	6.6 सार्वजनिक सूचना बोर्ड	
	6.7 कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी	
	6.8 हिमाचल सड़क सुधार योजना	
7	तकनीकी शिक्षा	13
	7.1 Remedial कक्षाएँ	
	7.2 गेट (Gate) के लिए कौचिंग कक्षाएँ	
	7.3 Induction Programme	
	7.4 स्वयं-प्रभा/व्यापक ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एम0ओ0ओ0सी0)	
	7.5 स्टार्टअप फेस्ट	
	7.6 इनक्यूबेशन केंद्र	
	7.7 ऑनलाइन शुल्क भुगतान	
8	महिला एवं बाल विकास	
	8.1 समय लिंगानुपात में सुधार करना	14
	8.2 बाल कुपोषण में कमी लाना	
9	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	15
	9.1 अतिरिक्त खाद्यान्न	
	9.2 विशेष उपदान योजना	
	9.3 हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना	
	9.4 राशन कार्ड को आधार से जोड़ना	
	9.5 Android Based PoS उपकरण	
	9.6 SMS के माध्यम से खाद्यान्नों की उपलब्धता की सूचना	
	9.7 Digilocker पर राशन कार्ड की उपलब्धता	
	9.8 SMS आधारित नकद पर्ची तथा धनरहित लेनदेन की सुविधा	
10	कृषि	16
	10.1 मृदा स्वास्थ्य कार्ड	
	10.2 कृषि उपकरण/ मशीनरी	
	10.3 संरक्षित खेती	
	10.4 सौर बाड़ लगाना	
	10.5 सौर सिंचाई योजना	
	10.6 सूक्ष्म सिंचाई सम्बन्धित तकनीकें	

क्रं. सं.	विवरण	पृष्ठ
11	पशुपालन	17
	11.1 मवेशियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड	
12	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य	18
	12.1 जल-संरक्षण के उपाय	
	12.2 हर खेत को पानी	
	12.3 सिंचाई योजनाओं का प्रबंधन	
	12.4 पानी की ऑनलाइन बिलिंग	
	12.5 भू-जल अन्वेषण	
13	शिक्षा	19
	13.1 मॉडल आवासीय विद्यालय	
	13.2 स्कूलों के अन्तर्गत लर्निंग वातारण में सुधार करना	
	13.3 डिजिटल शिक्षा	
	13.4 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला (Atal Tinkring Labs)	
14	वन	20
	14.1 विद्यार्थी वन मित्र योजना	
	14.2 सामुदायिक वन संवर्धन योजना	
	14.3 वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना	
	14.4 ऑनलाइन सेवाएँ	
15	सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण	21-22
	15.1 महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप	
	15.2 अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर	
	15.3 मौके पर लोक शिकायतों का निवारण	
	15.4 कारखानों में महिलाओं के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करना	
	15.5 महिला पुलिस थाने	
	15.6 सतर्कता शिकायत निगरानी प्रणाली	
	15.7 जेल वार्ता (कैदियों व उसके रिश्तेदारों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने की प्रणाली)	
16	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	23
	16.1 ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार	
	16.2 मोक्षधाम	
	16.3 जन-अधिकार पुस्तिका	
	16.4 पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों का डिजिटलीकरण	
	16.5 परिवार रजिस्टर का डिजिटलकरण व परिवार नकल की ऑनलाइन उपलब्धता	
	16.6 जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता	
	16.7 विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता	
	16.8 बी०पी०एल० प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता	
17	स्वरोजगार/ कौशल विकास के लिए कार्यक्रम	24
	17.1 मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना	
18	पर्यटन	25
	18.1 नई राहें नई मंजिलें	
	18.2 हेली-टैक्सी सेवा	
	18.3 राज्य में रोपवे सुविधा का आरम्भ	
19	पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
	19.1 ऑनलाइन पर्यावरणीय मंजूरी	26

जीवनयापन में सुगमता [Ease of Living]

प्रदेश की लोकतान्त्रिक सरकार कल्याणकारी सरकार होने के नाते, प्रदेश की आम जनता के लिये, सभी बुनियादी सुविधाएं उनके घर-द्वार पर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य के गठन के बाद से ही इसकी सभी विधायिकी, कार्यपालक तथा विकेन्द्रीकृत संस्थाएं भारतीय संविधान के अनुरूप इस दिशा में प्रयासरत हैं।

सरकार द्वारा आरम्भ की गई प्रत्येक योजना का उद्देश्य प्रदेशवासियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा आरम्भ की गई इन सभी योजनाओं से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पुराने एवम् अप्रचलित नियमों व विनियमों की समाप्ति, जन संवाद तथा इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा सुदृढ़ जन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना इत्यादि को सुनिश्चित किया जाए।

संक्षेप में, जीवन यापन में सुगमता [Ease of Living] से आशय है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने अस्तित्व हेतु किए गए प्रयासों व इसे लम्बे समय तक बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गए अवसरों तथा सुविधाओं के माध्यम से समुचित जीवन सुनिश्चित करना है।

इस दस्तावेज के माध्यम से ऐसी सभी योजनाओं को संकलित करने का प्रयास किया गया है जो कि प्रदेशवासियों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रारूपित की गई हों। इसके साथ ही इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों तक लाभ पहुँचाने के लिये अपनाई गई प्रक्रियाओं को सरल बनाने व ऐसी प्रक्रियाओं की अनिवार्यता को कम से कम करने हेतु सभी प्रयासों का भी संकलन करने का प्रयास किया गया है। यह सभी प्रयास निश्चित रूप से प्रदेशवासियों के जीवनयापन को और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस दस्तावेज में प्रदेशवासियों के कल्याण पर केन्द्रित कुछ ऐसे ही प्रयासों का वर्णन किया गया है। इस दस्तावेज को बनाते समय समिति ने प्रदेशवासियों के जीवन को और अधिक सुगम बनाने के लिए योजनाओं के संभावित परिणामों पर भी विचार किया है। इनमें से कुछ प्रयास विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आम जनता के समक्ष आने वाली बाधाओं/विसंगतियों को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे जो सीधे तौर पर प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाएंगे।

1. स्वास्थ्य

1.1 प्रसूति गृह की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल - प्रसूति गृह व ऑपरेशन थिएटर में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के



मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना
अस्पताल में जन्में नवजात शिशुओं को
₹1500 की "नव आगतुक" किट दी जाएगी।
हर साल लगभग 1 लाख
नवजात लाभान्वित होंगे।
upcmhelpline1076.in

साथ-साथ विशेषज्ञों की उपस्थिति में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इससे जच्चा-बच्चा मृत्यु दर व मृत प्रसव की दर में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी। चिकित्सा विशेषज्ञों/पैरामेडिकल स्टाफ की देखरेख में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पैदा होने वाले सभी नवजात शिशुओं को उनके जन्म के समय 1500 रु मूल्य की एक किट प्रदान

की जा रही है जिसमें नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक 11 वस्तुएं शामिल की गई हैं।

1.2 प्रसव पूर्व माताओं/गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाएं - गर्भावस्था के समय सभी संबंधित समस्याओं का समय पर निवारण करने हेतु गर्भवती महिलाओं की



प्रसवपूर्ण देखभाल आवश्यक है। गर्भावस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार की जटिलताओं, जो संभावित रूप से माँ या भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती है, की निगरानी व निवारण के लिए उन्हें अक्सर स्वास्थ्य संस्थानों में जाना पड़ता है। प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से नजदीक के बड़े अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होती है, को स्वास्थ्य संस्थाओं के समीप ही सराय में

ठहरने व भोजन की व्यवस्था प्रदान की जा रही हैं।

1.3 निजी क्षेत्र की भागीदारी: सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए निजी क्षेत्र में काम कर रहे प्रसूति विशेषज्ञों/रेडियोलॉजिस्टों/ बाल रोग विशेषज्ञों की सेवाएं साप्ताहिक/ दैनिक आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से ली जा रही है। इसके अतिरिक्त चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में निजी एलोपैथिक अस्पताल खोलने वाले किसी भी व्यक्ति/चिकित्सक को “स्वास्थ्य में सहभागिता” योजना के अन्तर्गत इन



स्वास्थ्य में सहभागिता
ग्रामीण क्षेत्र में निजी अस्पताल खोलने के लिए
1 करोड़ के निवेश पर 25% निवेश सब्सिडी और
3 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।




क्षेत्रों में ऐसी चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए निवेश व ब्याज में उपदान दिया जा रहा है।

है। जिसके अन्तर्गत 10.00 करोड़ रु0 के सीड मनी का प्रावधान किया गया है।

1.4 मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष: गम्भीर बीमारियों से पीड़ित राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन किया गया है।


1.5 मुख्यमंत्री निरोग योजना: इस योजना के अन्तर्गत Random Blood Sugar, रक्तचाप, दृष्टि व अन्य सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी लैब परीक्षण करवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है जिसके कारण प्रारम्भिक चरण में ही दीर्घकालीन सम्भावित समस्याओं/बीमारियों का पता लगाना सम्भव हो पाएगा तथा शीघ्र चिकित्सा मिलने से लम्बी अवधि तक रहने वाली बीमारियों से बचाव होगा।



1.6 विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयों/कॉर्नरों की स्थापना: राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने तथा नवजात शिशुओं को विशेष एवं तात्कालिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से इन इकाईयों को जिला स्तर पर (किन्नोर व लाहौल स्पीति को छोड़कर) स्थापित किया गया है।

1.7 हिमाचल हैल्थ केयर स्कीम (HIMCARE) : स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली यह योजना जनवरी, 2019 से दो राज्य योजनाओं “हि0प्र0 यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम” व “मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना” का विलय कर लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर 5.00 लाख रुपये तक प्रति परिवार प्रति वर्ष कैंशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है जिसके लिए श्रेणी के आधार पर 1000 रुपये तक के प्रीमियम स्लैब तय किए गए हैं।

1.8 ऑनलाईन ब्लड बैंक प्रबन्धन प्रणाली: ब्लड बैंक में प्रशासनिक एवं इन्वेंट्री प्रबन्धन से सम्बन्धित जानकारी को संचयित, प्रोसेस व विश्लेषित करने के लिए एक ऑनलाईन सिस्टम डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य रक्तदाताओं से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्रित कर प्रत्येक ब्लड बैंक में उपलब्ध विभिन्न समूहों के रक्त को बेहतर तरीके से व्यवस्थित व प्रबंधित करना है।



1.9 टैलिमैडिसिन परियोजना: राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए टैलिमैडिसिन परियोजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य के दूरदराज व कम आबादी वाले क्षेत्रों में, जहां चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मोबाइल फोन के माध्यम से पी0जी0आई0/आई0जी0एम0सी0 के चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

1.10 ई-अस्पताल सुविधा: प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में ओ0पी0डी0/प्रयोगशाला सेवाओं व ऐपॉइंटमेंट प्रणाली का चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

हाल ही में "अनुभव-डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में एक कदम" कार्यक्रम प्रदेश के जिला कुल्लू में आम जनता को मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर की आनलाईन ऐपॉइंटमेंट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पायलट आधार पर शुरू किया गया है।



1.11 अस्पताल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (HMIS): इंदिरा गाँधी मैडिकल कॉलेज देश के कुछ स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है जहां इस तरह की प्रणाली लागू की जा रही है। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रणाली के अन्तर्गत अस्पताल में आने वाले मरीजों का उनके पंजीकरण से लेकर डिस्चार्ज तक का रिकार्ड/मैडिकल हिस्ट्री रखने के साथ-2 अस्पताल की अन्य सभी गतिविधियों का भी कम्प्यूटीकरण किया जा रहा है। मरीजों का यह डेटाबेस डॉक्टरों के लिए अनुसंधान के दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है तथा इस सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट का उपयोग रोग निगरानी (Disease Surveillance) के लिए भी किया जा सकता है।



1.12 सुगम्य भारत अभियान: स्वास्थ्य संस्थानों को आगंतुकों विशेष रूप से दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुगम्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के अन्तर्गत मौजूदा इमारतों में सुगम्यता मानदंडों के अनुसार यथासंभव परिवर्तन/परिवर्धन करना तथा नए संस्थानों में इन प्रावधित मानदंडों के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित करवाना शामिल है।

2. राजस्व क्षेत्र

2.1 भू-रिकार्ड का डिजिटलीकरण: भूमि / संपत्ति विवादों में कमी लाने के उद्देश्य से भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए आधुनिकीकरण प्रबंधन की प्रणाली आरम्भ की गई है। भूमि अभिलेख रख-रखाव में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से भूसंपत्ति मानचित्रों का भी डिजिटलीकरण किया गया है तथा आम जनता तक चौबीसों घण्टे भू-अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का कार्य प्रगति पर है।




2.2 भू-अधिकारों का ऑनलाइन रिकार्ड (जमाबंदी): रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स (जमाबंदी) ऑनलाइन पोर्टल द्वारा राजस्व रिकॉर्ड आम जनता को उनके घरद्वार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा इन अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां निकटतम लोक मित्र केंद्रों से प्राप्त की जा सकती हैं।



2.3 राजस्व डीइस का ऑनलाइन पंजीकरण:- भू-रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर को डीइस पंजीकरण सॉफ्टवेयर के साथ

एकीकृत किया गया है तथा एक क्लिक के साथ ही नवीनतम जमाबंदी उप रजिस्ट्रार को कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में यह कार्य क्लाइंट-सर्वर

आधारित साफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। बायोमेट्रिक्स आधारित पंजीकरण सॉफ्टवेयर पर कार्य प्रगति पर है तथा भू-अभिलेखों के साथ इसका एकीकरण भी किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ऑनलाइन भू-रिकार्ड के साथ प्रमाणीकरण करने आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी जिसके कारण जमाबंदी में भूमि रिकार्ड डेटाबेस पर दर्ज संपत्ति से सम्बन्धित लेनदेन भी प्रदर्शित होगा।



2.4 ई-स्टाम्पिंग सिस्टम:- राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क की अदायगी के लिए ई-स्टाम्पिंग प्रणाली को अपनाया गया है। इस आनलाईन प्रणाली से स्टाम्प पेपर व अन्य गैर न्यायिक पत्रों की खरीद में लगने वाले समय की बचत होगी।

2.5 ई-प्रमाणपत्र:- तहसील, उपमंडल दंडाधिकारी व अन्य कार्यालयों द्वारा आम जनता के उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। इन आनलाईन सेवाओं के कारण उन्हें रोजगार, मुआवजा सम्बन्धी, ऋण व अन्य प्रकार की ऐसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु इन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। ये सभी प्रमाण पत्र ई-प्रमाण सॉफ्टवेयर के

माध्यम से जनता को ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन सभी प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकें तथा ई-प्रमाण पत्रों का सुविधानुसार प्रिंट ले सकें।

2.6 भूमि-अभिलेखों से सम्बन्धित सेवाएं घर-द्वार के समीप उपलब्ध करवाना:-

लोकमित्र केन्द्र एवं सामुदायिक सेवा केन्द्र, विभिन्न प्रकार की भूमि रिकार्ड उपलब्ध करवाने संबंधी सेवाएं आम जनता को उनके घर द्वार के समीप उपलब्ध करवाने हेतु अधिकृत किए गए हैं। ये सभी केन्द्र भौगोलिक रूप से इस प्रकार स्थापित किए गए हैं कि ग्राहकों को इन केन्द्रों पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं के लिए अपने घर से न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े।



2.7 राजस्व से सम्बन्धित न्यायिक मामलों की मॉनिटरिंग के लिए प्रणाली:-

अदालतों की नियमित कार्यवाही व निर्णयों को रिकॉर्ड करने तथा इन सभी मामलों से सम्बन्धित विवरण को आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाईन उपलब्ध करवाने के लिए यह प्रणाली मण्डल, जिला, उप-मण्डल व तहसील स्तर पर स्थापित की जा रही है। आरम्भ में, इस प्रणाली को पायलट आधार पर मण्डलाधिकारी शिमला व तहसील शिमला (शहरी) के कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।

3. पॉवर क्षेत्र

3.1 **ऑनलाइन पोर्टल:-** राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान, नए



कनेक्शनों के लिए आवेदन करने और ऊर्जा (बिजली) उपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। बिजली के बिलों का भुगतान इस पोर्टल (<http://www.hpseb.in/mybill>) के जरिए इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि से ऑनलाइन किया जा सकता है। लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी बिजली के बिलों का भुगतान किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, बिलों का भुगतान BHIM UPI, Mobile App, Easy-Pay,

Paytm, Phone Pay app, Google Pay Amazon Pay एवं भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी किया जा सकता है।

3.2 **प्रक्रियाओं का सरलीकरण:-** नए बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को कम करके केवल दो कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत स्वामित्व / अधिभोग का प्रमाण पत्र व टी0सी0पी0/ स्थानीय निकायों से अनापति प्रमाण पत्र जहाँ पर लागू हो, तथा प्राधिकरण दस्तावेज (फर्म / कंपनी के मामले में) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को बिजली के अस्थायी कनेक्शन अनापति प्रमाण पत्र के बिना ही, इन्हें डिस्कनेक्ट करने की अंडरटेकिंग के साथ जारी किए जा रहे हैं।



3.3 **बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए समय सीमा में कमी:-** कोडल (Codal)




औपचारिकताएँ पूर्ण कर निर्धारित शुल्क के भुगतान के पश्चात बिजली कनेक्शन जारी करने की समय सीमा 20 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है जहाँ सर्विस वायर की डिस्ट्रीब्यूशन मैन्स (Distribution mains) से दूरी 30 मीटर से अधिक न हो। तथा जहाँ पर कुछ अतिरिक्त कार्य शामिल होने के साथ 200 मीटर तक की दूरी तक सर्विस वायर वांछित हो वहां

यह अवधि घटाकर 15 दिन कर दी गई है


3.4 **उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण:-**

उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से टोल फ्री नम्बर 1800-18-8060 एवं 1912 तथा ई-मेल cgtg@jpseb.in से युक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना की गई है।



4. नगर एवं ग्राम योजना

4.1 भवन निर्माण अनुमति के लिए वेब पोर्टल:- भवन निर्माण की अनुमति, डेविएशन सैटलमेंट, निजी व्यावसायिक पंजीकरण, लैंड कन्वर्जन एवं भूमि संबंधी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु उपभोक्ताओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की गई है। पोर्टल के अन्तर्गत आवेदन शुल्क व अन्य शुल्कों की स्वचालित गणना व भुगतान करने, प्रस्तावित साइट मानचित्रों तथा अन्य दस्तावेजों को अपलोड व डाउनलोड करने तथा टी0सी0पी0 व नगर पालिका क्षेत्रों के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण की रिपोर्ट करने आदि की सुविधाएं शामिल है।



4.2 मोबाईल ऐप:- प्रदेश में मोबाईल-गवर्नेंस के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मोबाईल ऐप विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत आवेदनों के अनुमोदन एवं पेंडेंसी आदि की अद्यतन स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है। इस मोबाईल ऐप का उपयोग कर उपभोक्ता घर बैठे इन

सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

4.3 एरिया चैक मोबाईल ऐप:- लॉग-इन किए बिना किसी क्षेत्र विशेष की वस्तुस्थिति जानने के लिए एक मोबाईल एप्लिकेशन विकसित की गई है जिसके माध्यम से किसी गाँव अथवा पंचायत आदि के आंशिक या सम्पूर्ण रूप से टी0सी0पी0 अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में शामिल होने या न होने का पता किया जा सकता है।



4.4 टोल फ्री नम्बर:- आम जनता की सुविधा के लिए जारी किए गए टोल फ्री नम्बर के माध्यम से टी0सी0पी0 विभाग की विभिन्न विभागीय गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



मदद मिल सकें।

4.5 विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत Professionals की निर्देशिका:- नगर एवं ग्राम योजना विभाग के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, टॉउन प्लानर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर आदि की एक निर्देशिका तैयार की गई है जोकि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ताकि आम जनता को किसी भी निर्माण कार्य के लिए अपने कंसल्टेंट को आसानी से चुनने में

4.6 माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट:- 10 वर्षों के लिए पी0पी0पी0 मोड पर पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में हि0 प्र0 में 10 अलग-2 स्थानों पर लगभग 0.50 टन से 5 टन कचरे को निपटाने की क्षमता रखने वाले माइक्रो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संयन्त्रों की स्थापना कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत विभिन्न शहरों को कवर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5. परिवहन क्षेत्र

5.1 इलेक्ट्रिक बसों एवं टैक्सियों को प्रोत्साहन:- पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा कुशल एवं सतत् परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए मनाली-रोहतांग पास और मनाली शहर के अलावा, राज्य के अन्य शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक टैक्सियों की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।



5.2 कैशलेस परिवहन कार्यालय:- करों/ शुल्कों के संग्रहण के लिए सभी क्षेत्रिय परिवहन कार्यालयों में पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनें लगाकर इन सभी कार्यालयों को कैशलेस बना दिया गया है। इससे वाहन मालिकों को अपने करों/शुल्कों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा कार्यालयों को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाने में सहयोग मिलेगा।



5.3 राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए चेकपोस्ट समाधान:- राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आने वाले बाहरी राज्यों के Contract Carriage वाहनों से समग्र शुल्क एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन समग्र शुल्क प्रणाली की शुरुआत की है जिससे उपभोगताओं को शुल्क जमा करवाने के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग द्वारा नकदी रहित सरल व पारदर्शी कर प्रणाली को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है जिससे कार्यालयों में बार-बार जाने से होने वाली असुविधा से राहत मिलने के साथ-साथ समय की भी बचत होगी। जिलों में बैरियर पर तैनात कर्मचारियों की सेवाएं इस कार्य के लिए ली जा रही हैं।

5.4 ई-चालान सुविधा:- NIC द्वारा विकसित ई-चालान ऐप के माध्यम से यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को एस.एम.एस. के माध्यम से जुर्माने की सूचना/रसीद प्रदान की जा रही है तथा जुर्माने की राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से जमा करवाने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। अतः यह सुविधा सभी हितधारकों (Stakeholders) को डेटा समग्रता से युक्त एक विश्वसनीय व पारदर्शी सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से जोड़ती है। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतः-स्वचालन (automation) उपयोगकर्ताओं के लिए प्रत्येक स्तर पर एक निपुण तंत्र की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली यातायात उल्लंघनकर्ताओं से सम्बन्धित डेटा बेस को अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगी जिनको केन्द्रीय डाटा बैंक में दर्ज किए जाने के कारण तथा अपराध की मात्रा पुनरावृत्ति के अनुसार जुर्माना बढ़ाए जाने का भी प्रावधान होगा।

5.5 डीलर प्वाइंट पंजीकरण प्रणाली:- व्यक्तिगत वाहनों का पंजीकरण डीलर प्वाइंट पर करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है, जिसमें पंजीकरण प्रमाण-पत्र डीलर द्वारा ही वितरित किया जाएगा। इस प्रणाली को शिमला में पायलट आधार पर आरम्भ किया गया है तथा सम्पूर्ण राज्य में इसे लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5.6 “हार्न नहीं” अभियान:- अत्याधिक हार्न के प्रयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से उपजे अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप शुरू की गई है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण से सम्बन्धित शिकयतों को



सम्बन्धित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेज सकता है। इस App से शहरों को हार्न रहित जॉन बनाने में भी सहायता मिलेगी।

5.7 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की स्थापना:- सभी सार्वजनिक व वाणिज्यिक वाहनों में GPS की सुविधा को आरम्भ किया जाएगा जिससे इन वाहनों की वास्तविक लोकेशन जानने, गंतव्य पर पहुंचने सम्बन्धी समयसारणी दर्शाने, अभिभावकों द्वारा स्कूल बसों व टैक्सियों की निगरानी करने व अकेले यात्रा करने वाले यात्रियों, विशेष रूप से बच्चों, विकलांगों व महिलाओं आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

5.8 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड:- राज्य के विभिन्न सड़क मार्गों पर बसों के आवागमन के संभावित समय को प्रदर्शित करने के लिए बस स्टैंड/स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को बसों के वास्तविक आवागमन के समय की सूचना उपलब्ध रहेगी। वास्तविक समयसारणी के आधार पर यात्रियों को अपनी आगे की यात्रा की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। इस सुविधा से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ-2 यात्रियों के अनुभवों के आधार पर सुविधाओं में सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे।



5.9 बसों में स्वाइव/टैप मशीनों का उपयोग:- बस किराए के भुगतान हेतु यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में स्वाइप/ टैप मशीनें लगवाई जाएंगी जिससे इलेक्ट्रॉनिक कैश कार्ड के माध्यम से भुगतान सम्भव हो पाएगा तथा यात्रियों को नकद भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

5.10 गतिशील स्वचलित वाहन निरीक्षण एवं प्रमाणन स्टेशनों की स्थापना:- सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की पायलट योजना के अन्तर्गत परिवहन वाहनों की वैज्ञानिक तरीके से निर्दिष्ट मापदण्डों के अनुरूप जांच कर सड़क उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी केन्द्र सोलन जिले के बद्दी में स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक केन्द्र पर्याप्त नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा वाहनों का नियमित निरीक्षण के लिए पी0पी0पी0 मोड पर और अधिक केन्द्र स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

5.11 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में रोपवे एवं अन्य परिवहन प्रणाली की स्थापना:- इस योजना के अन्तर्गत आम जनता को सुविधाजनक, पर्यावरण अनुकूल, ट्रैफिक जाम रहित तथा समय बचाने वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जैसे कि Ropeways व Overhead Transport System से परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इससे शिमला, धर्मशाला, मनाली, मंडी आदि शहरों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण ट्रैफिक समस्या के समाधान व अन्य छूटी आबादी को परिवहन प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

6. लोक निर्माण

6.1 ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव एवं अनुरक्षण:- प्रदेश में सड़कों के नियमित रख-रखाव हेतु Performance Based Maintenance Contracting (OPBMC) जैसे नवीनतम व इनोवेटिव तरीकों को अपनाया गया है जिसके अन्तर्गत रख-रखाव का जिम्मा सड़कों के आस-पास रहने वालों स्थानीय लोगों का होगा तथा उसके लिए वे लोग भुगतान भी प्राप्त कर सकेंगे।



6.2 स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर:- सड़क किनारे वृक्षारोपण करने एवं गांव की सड़कों के रख-रखाव के लिए स्थानीय कामगारों विशेषतः महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों व अन्य समूहों की सेवाए ली जा रही हैं जिससे गरीब/ बी0पी0एल0 परिवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।



6.3 ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर सुधार करना:- दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए, पुलिस विभाग के रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से चिन्हित किए गए दुर्घटना सम्भावित स्पॉट्स की नियमित निगरानी की जा रही है तथा आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त इंजीनियरिंग उपाय भी किए जा रहे हैं।

6.4 जन/लोक शिकायतों के निवारण के लिए मोबाइल ऐप:- कोई भी उपभोक्ता अपने मोबाइल से सड़कों की खराब स्थिति की फोटो खींच कर इस ऐप पर अपलोड करके लोक निर्माण विभाग के गुणवत्ता विंग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज सकता है।

6.5 थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र:- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण स्कैंड द्वारा थर्ड पार्टी गुणवत्ता निरीक्षण पद्धति की शुरुआत की गई है। इससे प्रदेश में बुनियादी ढांचों के विकास व निर्माण गतिविधियों में संलिप्त सभी विभागों /बोर्डों/निगमों/स्थानीय



निकायों,
विश्व

विद्यालयों तथा राज्य डिपॉजिट वर्क्स के अन्तर्गत निर्मित सभी आधारभूत संरचनाओं व निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो पायेगी।

परियोजना की लागत व सम्बन्धित स्थलों पर स्थापित किए जा रहे हैं।

6.6 सार्वजनिक सूचना बोर्ड:- निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने व जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यन्वित अन्य विवरणों को दर्शाने वाले बोर्ड परियोजना

6.7 कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी:- ग्राम पंचायतों में किए जा रहे विकास कार्यों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए सभी हितधारकों (Stakeholders) एवं ग्राम स्तरीय समितियों के साथ नियमित रूप से परामर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

6.8 हिमाचल सड़क सुधार योजना:- हिमाचल में बुनियादी ढांचों के बेहतर रख-रखाव के लिए हिमाचल राज्य सड़क सुधार योजना के तहत मौजूदा राज्य सड़कों में Cross drainage system बनाए जा रहे हैं।



7. तकनीकी शिक्षा

7.1 Remedial कक्षाएँ:- राज्य सरकार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल प्रथम वर्ष के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए उनके पास प्रतिशत में सुधार करने के उद्देश्य से remedial classes शुरू की गई है।



7.2 गेट (GATE) के लिए कौचिंग कक्षाएँ:- राज्य में GATE उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए GATE (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) के लिए विशेष कौचिंग कक्षाएँ आरम्भ की गई है।

7.3 (Induction Programme):- हि0प्र0 इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी नये छात्रों को अपने नए वातावरण में सहज होने तथा अपने संकाय व अन्य बैच के छात्रों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए Induction Programme शुरू किए गए है।



7.4 स्वयं-प्रभा/व्यापक ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एम0ओ0ओ0सी0):- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-III के अन्तर्गत, राज्य सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्वयंप्रभा/MooC के अन्तर्गत सदस्यता आरम्भ की गई है। जिसके अन्तर्गत छात्रों के लिए उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑनलाईन पाठ्यक्रमों तथा 24×7 के आधार पर शैक्षिक सामग्री का प्रसार व प्रसारण किया जाता है।

7.5 स्टार्टअप फेस्ट:- राज्य सरकार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए निदेशालय स्तर पर स्टार्टअप फेस्ट शुरू किए गए हैं तथा इन संस्थानों में गहन, इन्टरैक्टिव व स्वतन्त्र सोच विकसित करने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए आइडिया लैब्स की भी स्थापना की गई है।

7.6 इनक्यूबेशन केंद्र:- शिक्षित युवाओं में उद्यमशीलता को विकसित करने तथा इन युवाओं को नौकरी चाहने वालों की श्रेणी से नौकरी पाने वालों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से मुख्यमन्त्री स्टार्ट-अप/इनोवेशन प्रोजेक्ट/न्यू इंडस्ट्रीज स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे आधारभूत ढांचा स्थापित कर एक सुदृढ़ नेटवर्क विकसित करना तथा युवाओं व सम्भावित निवेशकों में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए उनके कौशल का उन्नयन करना आदि शामिल है।



7.7 ऑनलाइन शुल्क भुगतान:- सभी तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा शुरू की गई है।

8. महिला एवं बाल विकास

8.1 समय लिंगानुपात में सुधार करना:-



**सफल राष्ट्र का प्रण,
हर बेटी को जीवन**

लैंगिक असन्तुलन दूर कर लिंगानुपात में सुधार करने के लिए बालिकाओं को अस्तित्व, संरक्षण, सम्मान एवं शिक्षा को सुनिश्चित बनाने व इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” योजना राज्य



के नौ जिलों में लागू की जा रही है तथा इसे सम्पूर्ण राज्य में विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

8.2 बाल कुपोषण में कमी लाना:-



बच्चों के लिए संतुलित आहार भत्ता व उनके द्वारा औसत दैनिक सेवन की बीच की खाई को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ियों के माध्यम से पूरक पोषण आहार



प्रदान किया जा रहा है।

9. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

9.1 अतिरिक्त खाद्यान्न: राज्य के सभी उपभोक्ताओं को अत्यन्त सस्ती दरों पर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त अत्याधिक ऊंचाई पर रहने वाले परिवारों को 35 कि०ग्रा० प्रति कार्ड प्रति धारक अतिरिक्त खाद्य वस्तुएं प्रति माह उपलब्ध करवाई जा रही हैं।



प्रदान किया गया है।

9.2 विशेष उपदान योजना: प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को “राज्य विशेष उपदान योजना” के तहत बढ़ती कीमतों की भरपाई करने के लिए 3 कि०ग्रा० दालों के साथ 2 ली० खाद्य तेल (1ली० सरसों तेल और 1ली० सोयाबीन तेल) तथा 1 कि०ग्रा० आयोडीन युक्त नमक प्रति राशन कार्ड प्रति माह देने के अलावा 4 दालों में से किन्हीं 3 दालों को चुनने का भी विकल्प

9.3 हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना: महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत छूटे हुए राज्य के सभी पात्र परिवारों को साफ और धुंआ रहित ईंधन प्रदान करने के लिए इस योजना का आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के वे सभी मूल निवासी लाभ के पात्र हैं, जिनके पास किसी राज्य / केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कोई घरेलू LPG कनेक्शन उपलब्ध नहीं है।

Grihini Suvidha Yojana (GSY) Himachal Pradesh
LPG gas connections to the households

LPG gas connections to the households
Eligibility, Benefits & Registration

ELIGIBILITY: Women & households
in Himachal Pradesh

BENEFITS: LPG connection

GovInfo.me - Govt Information Made Easy | India's biggest govt schemes, jobs & scholarships portal

9.4 राशन कार्ड को आधार से जोड़ना: राशन कार्डों की duplicity को रोकने के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड को उनके आधार नम्बर से शत प्रतिशत जोड़ना सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ प्राप्त हो सके।

9.5 Android Based PoS उपकरण: उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य वस्तुओं की चोरी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा के साथ Android Based PoS उपकरण लगाये जा चुके हैं।

9.6 SMS के माध्यम से खाद्यान्नों की उपलब्धता की सूचना: उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य वस्तुओं के स्टॉक के पहुंचने पर उपभोक्ताओं को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बरों पर SMS के माध्यम से खाद्यान्नों की उपलब्धता की सूचना प्रदान की जा रही है।



9.7 Digilocker पर राशन कार्ड की उपलब्धता: उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राशन कार्ड की प्रति को **Digilocker Application** पर उपलब्ध करवाया गया है। उपभोक्ता अपने राशन कार्ड की ठोस प्रति (Hardcopy) पारदर्शिता पोर्टल **epds.co.on** से प्राप्त कर सकते हैं।

9.8 उचित मूल्य की दुकानों पर SMS आधारित नकद पर्ची तथा धनरहित लेनदेन की सुविधा: लाभार्थियों की सुविधा के लिए उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर नकद पर्ची की सूचना भेजने तथा उचित मूल्य की दुकानों पर धनरहित लेनदेन के लिए प्रणाली विकसित की जा रही है।

10. कृषि

10.1 मृदा स्वास्थ्य कार्ड:- मिट्टी में उपस्थित पोषकों के सन्तुलित उपयोग के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर बुआई के लिए उचित फसलों की जानकारी भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध रहती है जिससे किसानों को उचित फसल का चुनाव करने में मदद मिलती है।



10.2 कृषि उपकरण/ मशीनरी:- Farmer Machinery ट्रेनिंग एवं परीक्षण संस्थान व भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य परीक्षण केंद्रों द्वारा अनुमोदित औजारों व मशीनरियों की खरीद पर किसानों को 50 प्रतिशत सहायता का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त Custom Hiring के लिए फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना पर भी इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान सूचीबद्ध कंपनियों में से अपनी पसन्द की मशीनरी चुनने के लिए स्वतंत्र है।



10.3 संरक्षित खेती:- पॉलीहाऊस की कुल लागत पर 85 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करके संरक्षित खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। केवल शेष 15 प्रतिशत राशि का ही किसानों द्वारा वहन किया जाता है। किसानों को संरक्षित खेती पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना भी इस योजना का हिस्सा होगा ताकि उन्हें अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए संरक्षित खेती से सम्बन्धित नवीनतम तकनीकी जानकारीयाँ प्रदान की जा सकें।

10.4 सौर बाड़ लगाना:- जंगली एवं आवारा पशुओं तथा बंदरों के आतंक से फसलों को बचाने के लिए, “मुख्यमंत्री खेत संवर्धन योजना” शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सौर बाड़ लगाने के लिए किसानों को व्यक्तिगत रूप से 80 प्रतिशत तक तथा समूहों में, जिसमें 3 या इससे अधिक किसान हो, 85 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रदेश में 28 सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है तथा किसान किसी भी सेवा प्रदाता की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।



Himachal Pradesh Saur Sinchayee Yojana

स्थापित करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी भी कंपनी की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

10.5 सौर सिंचाई योजना:- इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-2 Solar Photovoltaic Pumping System स्थापित करने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को 90 प्रतिशत तथा मध्यम एवं बड़े किसानों को 80 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 6 कंपनियों को पहले से ही सूचीबद्ध कर दिया गया है। आम जनता Solar Photovoltaic Pumping System

10.6 सूक्ष्म सिंचाई से सम्बन्धित तकनीकें:- सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं यानी Sprinklers व drip irrigation के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को 20-30 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से 60-70 प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत किसानों को जल का निश्चित स्रोत उपलब्ध होने की स्थिति में 80 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए 18 सेवा-प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया गया है। आवेदन पत्र अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों के साथ विभाग की वेबसाइट www.hpagriculture.com पर उपलब्ध है।

11. पशुपालन

11.1 मवेशियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड:- दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण व उत्पादकता की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उनकी निगरानी हेतु “पशु संजीवनी योजना” आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत 7.78 लाख नकूल स्वास्थ्य पत्र जारी किए गए हैं।




12. सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य


12.1 जल-संरक्षण के उपाय:- भारी वर्षा से होने



वाले भू-कटा को रोकने व इसके संरक्षण के लिए अधिक से अधिक चैक डैमों और तालाबों का निर्माण



किया जा रहा है।



12.2 हर खेत को पानी:- प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक सिंचाई के लिए सुविधाएं प्रदान करने तथा भूमिगत जल स्तर के पुनर्भरण के उद्देश्य से हर खेत तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

12.3 सिंचाई योजनाओं का प्रबंधन:- कृषि विकास संघों व जल उपयोगकर्ता संघों को मौजूदा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

12.4 पानी की ऑनलाइन बिलिंग:- ऑनलाइन वाटर बिलिंग व भुगतान करने की प्रणाली को आरम्भ करने की प्रक्रिया प्रदेश में शीघ्र ही लागू की जा रही है।

12.5 भू-जल अन्वेषण:- इस योजना के अन्तर्गत हैंड पंप लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन व अनुमोदन की प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है।



13. शिक्षा

13.1 मॉडल आवासीय विद्यालय:- मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना (जिसे अब अटल आदर्श विद्यालय योजना के नाम से जाना जाता है) के अन्तर्गत, 10 विधान सभा क्षेत्रों, जहां नवोदय अथवा एकलव्य विद्यालय मौजूद नहीं है, में एक-2 मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ-2 निशुल्क छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इनमें से कुछ विद्यालय विशेष रूप से लड़कियों की कम साक्षरता दर व जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित होंगे।



13.2 स्कूलों के अन्तर्गत लर्निंग वातावरण में सुधार करना:- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ब्रैललिपि की पुस्तकें व बड़े फोन्ट वाली पुस्तकों का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालयों में रेलिंग वाली रेंप का भी प्रावधान है। ऐसे सभी छात्रों को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार, शैक्षिक सुविधाएं और शिक्षण माहौल दिया जा रहा है। विद्यालयों में बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, प्राथमिक स्तर पर, गणित किट सहित अतिरिक्त पढ़न-पाठन सामग्री का प्रावधान भी किया गया है।



13.3 डिजिटल शिक्षा:- राज्य के सभी विद्यालयों व महा-विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से Smart Classes से जोड़ा जा रहा है।

13.4 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला (Atal Tinkring Labs):- युवाओं में जिज्ञासा व रचनात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक विद्यालयों में अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है।



1 4. वन

1 4.1 विद्यार्थी वन मित्र योजना:-



यह योजना स्कूली बच्चों में वनों एवं पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 0.5 हैक्टेयर से लेकर 2 हैक्टेयर तक के खाली व degraded वन क्षेत्रों को स्कूली बच्चों द्वारा वृक्षारोपण और रख-रखाव के लिए चयनित



स्कूलों को सौंपा जा रहा है।

1 4.2 सामुदायिक वन संवर्धन योजना:-



विभिन्न समुदायों को वन प्रबन्धन एवं संरक्षण सम्बन्धी कार्यों के प्रति जागरूक करने तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा “सामुदायिक वन संवर्धन योजना” आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों एवं ग्राम वन विकास संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से चयनित गांवों के आसपास की खुली व degraded वन भूमि पर पौधारोपण एवं भूमि जल संरक्षण सम्बन्धी कार्य सामूहिक रूप से किए जा रहे हैं।

1 4.3 वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना:-

राज्य सरकार द्वारा Community users groups के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आर्थिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना का आरम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत, ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इस प्रकार के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन आदि के तरीकों में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह योजना स्थानीय लोगों को लम्बे समय तक बेहतर आजीविका के अवसर सुनिश्चित करवाने के साथ-साथ वन संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



1 4.4 ऑनलाइन सेवाएं:- विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि वन उद्योग प्रबंधन प्रणाली (किसी भी वन आधारित उद्योग के नवीनकरण के लिए), इकोटूरिज्म के अन्तर्गत विश्राम गृह (वन) की ऑनलाइन बुकिंग, वन सुरक्षा कर्मियों की ऑनलाइन भर्ती आदि की पूर्ति के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित कर वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जंगलों में होने वाली अवैध गतिविधियों/ अपराधों के सम्बन्ध में वन विभाग के फील्ड अधिकारियों के साथ Public interface के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से भी वर्तमान में एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित की जा रही है।

15. सामाजिक सुरक्षा और शिकायत निवारण

15.1 महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐप:- महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य स्तर पर “शक्ति ऐप” शुरू की गई है। संकट के समय किसी महिला द्वारा मोबाइल ऐप पर लाल बटन दबाने से तुरन्त अलर्ट का संदेश पुलिस रिस्पॉन्स टीम तक पहुंच जाएगा। मोबाइल को हिलाने मात्र से ऐप जी0पी0एस0 द्वारा अपनी भौगोलिक लोकेशन भेजने में सक्षम है। जी0पी0एस0 सक्रिय होने पर, ऐप स्वयं ही निकटतम पुलिस कंट्रोल रूम को संदेश भेजता है। कोई भी महिला घटना के समय पुलिस सहायता के लिए इस विशेष ऐप का उपयोग कर सकती है।



15.2 अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर:- टोल फ्री नम्बर के माध्यम से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग ड्रग, वन एवं खनन माफिया की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए किया जा रहा है जिसकी सीधे तौर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।

15.3 मौके पर लोक शिकायतों का निवारण:- आम जनता की समस्याओं/शिकायतों का उनके



जन मंच
नागरिकों की सुविधा के लिए
मुख्यमंत्री कार्यालय, हिमाचल प्रदेश

घर-द्वार पर निवारण करने के उद्देश्य से सरकार के सभी मन्त्री हर महीने नियमित रूप से प्रत्येक जिले के दूरदराज क्षेत्रों में “जनमंच” का आयोजन कर रहे हैं। शिकायतों का मौके पर निवारण करने के लिए सभी विभागों के अधिकारी भी मंत्रियों के साथ जनमंच के अवसर पर मौजूद रहते हैं। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों का आयोजन आम जनता के बीच में राज्य सरकार की पहुंच को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।



15.4 कारखानों में महिलाओं के लिए रोजगार के समान फैंक्ट्री अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत करखानों/इकाईयों में महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ तीन शिफ्टों में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवसर सुनिश्चित करना:-



15.5 महिला पुलिस थाने:- राज्य में केवल महिलाओं से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने के लिए ग्यारह महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है। इन थानों के माध्यम से वैवाहिक विवादों, दहेज, घरेलू हिंसा, व्यभिचार, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में महिलाओं को प्री-रजिस्ट्रेशन कांऊंसलिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास को बल मिल रहा है।

15.6 सतर्कता शिकायत निगरानी प्रणाली:- इस मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य जनता और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बीच वार्तालाप के माध्यम को सुविधाजनक बनाना है। यह मॉड्यूल सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस स्टेशनों को शिकायतें व सूचनाएं ऑनलाइन भेजने की सुविधा प्रदान करता है।



15.7 जेल वार्ता (कैदियों व उसके रिश्तेदारों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने की प्रणाली):- इस प्रणाली के अन्तर्गत जेल में कैदियों को उनके परिचितों/रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप की सुविधा प्रदान की जा रही है।

16. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

16.1 ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार:- ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत 20 अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।



16.2 मोक्षधाम:- दिवंगत आत्मा के शरीर को गरिमापूर्ण विदाई प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में चरणबद्ध तरीके से “मोक्ष-धाम” नाम से श्मशानघाटों का निर्माण किया जा रहा है।



16.3 जन-अधिकार पुस्तिका:- राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित पुस्तिका का संकलन किया गया है। जिसमें इन योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों व सुविधाओं की जानकारी के अतिरिक्त इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए निहित प्रक्रियाओं का भी उल्लेख किया गया है। “जन अधिकार” नाम की यह पुस्तिका राज्य सरकार के “हिम प्रगति” पोर्टल

पर उपलब्ध है।

16.4 पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों का डिजिटलीकरण:- पंचायती राज संस्थाओं / शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से इन निकायों से सम्बन्धित डेटा को ऑनलाइन दर्ज व अपलोड करने के लिए इनके डिजिटलीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है।

16.5 परिवार रजिस्टर का डिजिटलकरण तथा परिवार नकल की ऑनलाइन उपलब्धता:- प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्ट्रों के मैनुअल रिकार्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति स्वयं राज्य सरकार के “ई-जिला” पोर्टल अथवा “लोक मित्र केन्द्र” से परिवार नकल की प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है।

16.6 जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता:- जन्म एवं मृत्यु से सम्बन्धित सम्पूर्ण आंकड़ों को डिजिटल कर उन्हें परिवार रजिस्टर के साथ जोड़ा गया है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र किसी भी लोकमित्र केन्द्र से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं।

16.7 विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता:- राज्य सरकार द्वारा विवाह पंजीकृत करवाने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को आनलाईन किया गया है। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति किसी भी लोकमित्र केन्द्र से राज्य सरकार के “ई-जिला” पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

16.8 बी0पी0एल0 प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता:- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार के “ई-जिला” पोर्टल के माध्यम से बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन ऑनलाइन प्रमाण पत्रों की प्रतियां समीप के लोक मित्र केन्द्रों से भी प्राप्त की जा सकती है।

17. स्वरोजगार/ कौशल विकास के लिए कार्यक्रम

17.1 मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना:- स्थानीय स्तर पर उद्यमिता बढ़ाने तथा युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में स्वावलम्बन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचली युवाओं को उद्योगों में निवेश के लिए संयंत्रों व मशीनों की खरीदारी पर 40 लाख रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसी उद्देश्य से हिमाचली युवाओं को सरकारी जमीन भी एक प्रतिशत की रियायती लीज-दर पर प्रदान की जाएगी।

18. पर्यटन

18.1 नई राहें नई मंजिलें:- नई राहें नई मंजिलें:- प्रदेश में नए पर्यटन क्षेत्रों के विकास करने के उद्देश्य से चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, पार्किंग इत्यादि मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।



18.2 हेली-टैक्सी सेवा:- उच्च श्रेणी पर्यटकों को



आकर्षित करने के उद्देश्य से कुछ चिन्हित हैली टैक्सी मार्गों पर हैली टैक्सी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।



18.3 राज्य में रोपवे सुविधा का आरम्भ:- पुरातन/पुरातत्व धरोहरों को पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित करने के उद्देश्य से इन स्थलों में वाहनों की आवाजाही को कम करने हेतु रोपवे जैसी वैकल्पिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

19. पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 19.1 **ऑनलाइन पर्यावरणीय मंजूरी:-** किसी भी कार्य के लिए वांछित पर्यावरणीय स्वीकृति की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी, गतिशील एवं जवाबदेही बनाने हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया को आनलाईन किया गया है।

Executive Summary

Directive Principles of State Policy reflect India as a Welfare State. Hence, State plays a key role in the protection and promotion of economic and social well-being of its citizens through equality of opportunity and equitable distribution of wealth.

The State Government is committed to ensure that all welfare policies are implemented sincerely for the benefit of its residents. Taking a cue from the statement made by the Prime Minister in the fourth meeting of the Governing Council of NITI Aayog on 17th June, 2018 on enhancing the ease of living and on the initiative of NITI Aayog, State Government constituted a State level committee to finalize & oversee 100 initiatives/steps of State Government for improving the ease of living of its citizens.

Subsequently, detail of all the initiatives being taken by State Government, which are monitorable and directly linked to daily life of citizens leading to easier living was collected. Some of these steps which involve directly or indirectly improving the ease of living of common people cannot be measured in quantitative terms. Many initiatives/schemes have been started by the Central Government and several steps have been initiated by State Government to provide desired benefits to the public. Efforts have been made to compile all such initiatives. With regard to some initiatives, availability of data cannot be ascertained, being qualitative in nature.

These initiatives collectively seek to foster a better quality of life for residents through improving governance, better Health and Education facilities and availability of quality services to the general public. To bring transparency in governance, many ICT driven initiatives have also been started by the State Government in different sectors.

We hope that compilation of these initiatives would be a precursor to more initiatives by the departments to make Governance more responsive and citizen friendly.

**Planning Department,
Himachal Pradesh, Shimla-171002.**

24th DECEMBER, 2019

Index

Sr.No.	Contents	Page
	What is Ease of Living	1
1	Health Sector	2-5
	1.1 LaQshya roll out- (Labour Room Quality Improvement Initiatives)	
	1.2 Facilities for Ante-Natal mothers	
	1.3 Private Sector involvement- Swasthya Mein Sahbhagita Yojna	
	1.4 Mukhya Mantri Chikitsa Kosh	
	1.4 Mukhyamantri Nirog Yojna	
	1.5 Establishment of Special Newborn Care Units (SNCU's) and New Born Care Corners	
	1.6 Himachal Health Care Scheme	
	1.7 Online Blood Bank Management System	
	1.8 Telemedicine Project	
	1.9 Introduction of E-Hospital	
	1.10 Hospital Management Information System (HMIS)	
	1.11 Sugamya Bharat Abhiyan	
2	Revenue & Land Record Management Sector	6-7
	2.1 Digitization of Land Record	
	2.2 Online Record of Rights (RoR-Jamabandi)	
	2.3 Online registering of deeds	
	2.4 e-Stamping System	
	2.5 e-Certificate	
	2.6 Nearby services related to land records	
	2.7 Revenue Court Case Monitoring System (RCMS)	
3	Power Sector	8
	3.1 Online portal	
	3.2 Simplification of procedure	
	3.3 Reduction in time-frame	
	3.4 Consumer Complaints	
4	Town & Country Planning Sector	9-10
	4.1 Web Portal for building permissions	
	4.2 Mobile App	
	4.3 Area Check Mobile App	
	4.4 Toll Free Number	
	4.5 Directory of professionals	
	4.6 Micro Municipal Solid Waste Management	
5	Transport Sector	11-13
	5.1 Plying of Electric Buses & Taxis	
	5.2 Cash less Transport offices	
	5.3 Check Post Solution for vehicles entering in the State	
	5.4 Introduction of E-Challan Facility	
	5.5 Dealer Point Registration System	
	5.6 No Honking Campaign	
	5.7 Installation of GPS	
	5.8 Electronic Display Boards	

Sr.No.	Contents	Page
	5.9 Swipe/Tap machines in Buses	
	5.10 Establishment of Mobile Automated Vehicle Inspection & Certification Station	
	5.11 Installation of ropeway & other mass rapid transport system as public transport system	
6	Public Works Sector	14-15
	6.1 Maintenance and upkeep of Rural Roads	
	6.2 Employment opportunity at Local level	
	6.3 Identification & rectification of Black spots	
	6.4 Mobile App for redressal of Public Grievance	
	6.5 Third Party Quality Control Mechanism	
	6.6 Public Information boards	
	6.7 Supervision & monitoring of works	
	6.8 Himachal Road Improvement Scheme	
7	Technical Education Sector	16
	7.1 Remedial Classes	
	7.2 Coaching for GATE	
	7.3 Induction Programmes	
	7.4 Swayam Prabha/Massive Open Online Course (MOOCs)	
	7.5 Startup Fests	
	7.6 Incubation Centre	
	7.7 Online Fee Payment	
8	Women & Child Development Sector	17
	8.1 Taking steps with a view to improve overall sex ratio in State	
	8.2 Reduction in child malnutrition	
9	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Sector	18-19
	9.1 Extra food grains	
	9.2 Specially Subsidized Scheme	
	9.3 Himachal Grihini Suvidha Yojna	
	9.4 Linkage of Ration Cards with Aadhaar	
	9.5 Android Based PoS devices	
	9.6 Information through SMS	
	9.7 Availability of Ration Card	
	9.8 SMS Based Cash Memo & Cashless Transactions	
10	Agriculture Sector	20-21
	10.1 Soil Health Cards	
	10.2 Farm equipments/machinery	
	10.3 Protected Cultivation	
	10.4 Solar Fencing	
	10.5 Saur Sinchayee Yojna	
	10.6 Micro Irrigation technologies	
11	Animal Husbandry Sector	22
	11.1 Health Cards for monitoring the health of Cattle	

Sr.No.	Contents	Page
12	Irrigation and Public Health Sector	23
	12.1 Water Conservation measures	
	12.2 Har Khet Ko Pani	
	12.3 Management of irrigation schemes	
	12.4 Online Water Bills	
	12.5 Ground Water exploration	
13	Education Sector	24
	13.1 Model Residential Schools under Mukhya Mantri Adarsh Vidya Kender Yojna (now renamed as Atal Adarsh Vidyalaya Yojna)	
	13.2 Improving proper learning environment in the schools	
	13.3 Digital Education	
	13.4 Atal Tinkering Labs	
14	Forest Sector	25
	14.1 Vidyarthi Van Mitra Yojna	
	14.2 Samudayik Van Samvardhan Yojna	
	14.3 Van Samridhi-Jan Samridhi Yojna	
	14.4 Online Services	
15	Social Security & Grievances Redressal Sector	26-27
	15.1 App for safety of women	
	15.2 Helpline toll free number for checking illegal activities	
	15.3 On-the-spot redressal of public Grievances	
	15.4 Ensuring Equal Employment Opportunities for women in factories	
	15.5 Women Police Stations	
	15.6 Vigilance Complaints Monitoring System (VCC)	
	15.7 Jail Varta (Prisoner-relative Video Conference System)	
16	Rural Development Sector and Panchayati Raj	28-29
	16.1 Self-Employment to rural youth	
	16.2 Moksh Dham	
	16.3 Jan Adhikar Pustika	
	16.4 Digitization of PRIs/ULBs.	
	16.5 Digitalization of Pariwar Register and issuance of online pariwar nakal	
	16.6 Online availability of Birth and Death registration and issuance of certificate	
	16.7 Online availability of marriage registration and issuance of certificate	
	16.8 Online availability of BPL Certificates	
17	Programs for Self Employment/Skill Development	30
	17.1 Mukhya Mantri Swavlamban Employment & Skill Development Yojna	
18	Tourism Sector	31
	18.1 Nayi Rahein Nayi Manjilen	
	18.2 Heli Taxis Services	
	18.3 Introduction of Ropeways	
19	Environment, Science & Technology Sector	32
	19.1 Online Environmental Clearance	

What is Ease of Living

Being a social welfare State, our democratic set-up is determined to provide all the basic amenities for common people at their door steps. From the beginning of Independence era, all legislative, executive and decentralized institutions are bound to make sincere efforts in this direction as provided by the Constitution of India.

As every scheme/program is conceived by the government for the benefit of residents, it is important to ensure that ultimate beneficiaries reap the benefits of any Government initiative through simplification of procedures/forms, repealing of obsolete rules & regulations, leveraging technology to bring transparency in public interface and a robust public grievance redress system. In essence, living with ease requires a delicate balance between efforts made by an individual for his survival and the availability of opportunities by the government for making these efforts sustainable in the long run, ensuring a decent life with ease.

In this publication, efforts have been made to compile all such schemes/programs directly linked to the daily life of residents with customization as per local needs & minimal procedural requirements, ultimately leading to enhancement in ease of their living. Some of the citizen centric initiatives are discussed in the report in the following pages. Some of the initiatives are Central Government initiatives and some are State Government initiatives. While drawing up the list, the Committee has considered likely impact of the schemes in making the lives of the citizens, more comfortable. Some of the initiatives will help to reduce footfall in offices which will directly bring convenience to the common people.

Sector-wise Initiatives for Ease of Living

1. Health

1.1 LaQshya roll out- (Labour Room Quality Improvement Initiatives)

Besides improving quality of labour rooms & maternity operation theatres to reduce preventable maternal & new born mortality,



morbidity and stillbirths, **Mukhyamantri Aashirwad Yojna** has been started by State Government to encourage institutional delivery under the supervision of expert medical/paramedical staff. Under this scheme, a kit (comprising of 11 items required for baby at birth)

worth Rs. 1500 to all new babies born in hospitals is being provided by State Government. This has not only encouraged institutional deliveries being attended by trained staff but also caters to the needs of a newly born baby.

1.2 Facilities for Ante-Natal mothers

Antenatal care (ANC) is required by pregnant mothers for timely identification and mitigation of pregnancy related problems, which can potentially harm mother or fetus and require frequent visits to health institutions to screen them for any risk factors or other complications.

To facilitate such ante-natal care for mothers, Sarai (with bed and food facilities) facility is being provided near health institutions to ante-



natal patients coming from far-flung areas, not requiring hospital admission. Provision of ante-natal care & emergency services at right time under guided supervision of medical staff has resulted in enhancing health status of mother and child.

1.3 Private Sector involvement

In case of non-availability of government doctors, the services of

Obstetricians/Radiologist/Pediatricians from the private sector are being utilized by paying them from NHM/RKS on weekly/daily basis. Besides

this, any person/doctor establishing a private allopathic Hospital in identified rural areas is being provided with an investment & interest subsidy for establishment of such medical facility in rural areas under "Swasthya Mein Sahbhagita Yojna."




1.4 Mukhya Mantri Chikitsa Kosh

This fund with seed money of INR 10.00 Crore has been established to provide financial assistance for the poor & needy people of the State in case of illness.



1.5 Mukhyamantri Nirog Yojna



For detecting ailments in early stages and prevent long term illnesses through early diagnosis and treatment, multi diagnostic facilities including random Blood Sugar test, Blood Pressure, Eye Test and other Laboratory Tests are being identified for facilitating under this scheme.

1.6 Establishment of Special Newborn Care Units (SNCU's) and New Born Care Corners

For reducing IMR in the State, these special care units have been established at District level (except Kinnaur & Lahaul Spiti) to provide specialized & immediate health care to the newborns.

1.7 Himachal Health Care Scheme (HIMCARE): This scheme is being implemented since 1st January, 2019 by merging two of the State schemes namely Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme and Mukhya Mantri State Health Care Scheme. Under

HIMCARE Scheme, cashless treatment coverage up to Rs. 5.00 Lakh per year per family is being provided on family floater basis in the empanelled hospitals at the time of hospitalization. Differential Premium slabs have been fixed from Rs. 0 to Rs. 1000 based on category.

1.8 Online Blood Bank Management System

An online System has been designed to store, process, retrieve and analyze information related to administrative and inventory management within a blood bank. It aims at maintaining all the information pertaining to blood donors, blood of different groups available in each blood bank for managing them in a better way. This software will also facilitate online registration for organizing blood

donation camps, fixing appointments for blood donation by individuals, online request for procurement of blood of any specific group, check availability of blood, status of district wise stock of blood etc.



1.9 Telemedicine Project

has been started to improve the health services in the State by providing access of Medical Specialists/experts from PGI/ IGMC to common man through mobile phone even at PHC/CHC level located in remote, sparsely populated areas of the State.

1.10 Introduction of E-hospital


Digitization of OPD/Laboratory Services/Appointment system in the health institutions is being done in a phased manner. Recently, **ANUBHAV program -a step towards digital health-** has been launched on pilot basis in Kullu District for envisaging facilities to public to get doctor appointment online for their medical checkup. The registered patients get confirmation of their appointment with the doctor through SMS on their mobiles.



1.11 Hospital Management Information System (HMIS)

IGMC is among the few health institution in the country where such system is being implemented. This initiative provides better health services to the Citizens of Himachal Pradesh by including computerization of the routine activities of the hospital and to keep

track of patient record/ Medical history right from his registration to his discharge/ leaving the Hospital. The database of patients could also be useful for doctors from the research point of view. Disease surveillance can also be done using the reports of this software.




1.12 Sugamya Bharat Abhiyan

Efforts are being made to make the health institutions visitors friendly for specially-abled people & senior citizens by making alterations/additions as per feasibility in existing buildings & through provisions of such norms in upcoming new institutions.

2. Revenue & Land Record Management

2.1 Digitization of Land Record

The system of modernized management of land records through computerization has been introduced for minimizing the scope of land/property disputes. Digitization of Cadastral Maps has been done to enhance



transparency in the land records maintenance and a system for providing 24*7 facility to general public to have access to land records is being rolled out.


2.2 Online Record of Rights (RoR-Jamabandi)

Record of Rights (Jamabandi)

is easily accessible to general public through online portal facilitating availability of revenue record at their door-steps. Certified copies of these records can be obtained from nearest LMKs or CSCs.

2.3 Online registering of deeds

Land record has already been integrated with registration of deeds software and latest RoR (Jamabandi) becomes available to Sub Registrar on the screen with a touch of key. Being client-server based software, work is being done in the direction of registration of all kinds of deeds through software having features to capture biometrics & validating input data with online land records. Its integration with land records is also being done which will enable reflection of transaction related to property recorded on land records database in RoR.



2.4 e-Stamping System

E-Stamping System has been adopted for collection of Stamp & Registration fees through authorized collection centers (ACC) in the State. This is helping in doing away with the time consuming process of purchasing stamp papers and other non-judicial papers.

2.5 e-Certificate

Various types of certificates are issued by Tehsil, Sub-Divisional Magistrate and other Offices to the public for further use for seeking employment, compensation, loans etc online. All these certificates are issued through E-Praman software and provided online to the public so that they can apply & take print on-line of all these certificates as per their requirements.

2.6 Nearby services related to land records

Lok Mitra Kendras (LMKs) and Community Services Centers (CSCs) are authorized for providing various types of land record services to facilitate the



general public. The LMKs and CSCs are located in such a manner that the clients have to cover minimum possible distance to obtain required documents.

2.7 Revenue Court Case Monitoring System (RCMS): Revenue Court Case Monitoring software for the use of Revenue courts at Division, District, SDM & Tehsil level for capturing the proceedings of routine courts & Judgments and for making details of the cases available online for the general public is being established. Initially, the system is being implemented in the office of the Divisional Commissioner Shimla, DC office Shimla & Tehsil Shimla (Urban) on pilot basis.

3. Power

3.1 Online portal



Consumers in the State have been provided with an easy to use online portal for online payment of electricity bills, applying for new service connections and obtaining power availability certificate (PAC). Electricity bills can be paid online through this portal <http://www.hpseb.in/mybill> by internet banking/debit card/credit card. Electricity bill payment can also be made through Lokmitra Kendra. In addition to above the bills can also be deposited by using BHIM UPI, Mobile app, easy-pay, Paytm, Phone pay app, Google pay, Amazon pay and through Bharat Bill Payment System(BBPS).

3.2 Simplification of procedure

Procedure for release of new electricity connection has been simplified by reducing number of documents required for obtaining the electricity connection to only two i.e. proof of ownership/occupancy and NOC from TCP/Local Bodies, wherever applicable and authorization document (in case of firm/company). Now HPSEB Ltd. is also giving temporary electricity connection to consumers without NOC by obtaining undertaking from consumers for disconnecting the same, if the concerned local authority issue orders under the provision of relevant act.



3.3 Reduction in time-frame

Time frame for release of electricity connection after the date of completion of codal formalities and payment of charges has been reduced from 20 days to 7 days (where no extension of distribution mains up to 30 meters service wire) and to 15 days (where minor works are involved and service wire up to 200 meters).



3.4 Consumer Complaints


Online consumer complaint facility is also being provided to the consumers on toll free no. 1800-180-8060 & 1912. A consumer grievances redressed forum has also been created with e-mail cgrf@hpseb.in wherein facility to lodge online complaints is available to the consumers.



4. Town & Country Planning

4.1 Web Portal for building permissions

A portal enabling users to apply online for building permission, deviation settlement, private professional registration, land conversion and for various land related information has been established. The portal also facilitates automated calculation of application fees and other Charges, uploading & downloading of documents and proposed site maps, payment of online application fee and reporting unauthorized construction in TCP & Municipality areas.




4.2 Mobile App



Mobile app has been developed for achieving the goal of m-governance across the state by providing services like tracking status of applications like pendency, approval etc. thereby enhancing 24x7 accessibility of the application.

4.3 Area Check Mobile App

A mobile application has been developed for checking the status of area without creating a login. This app checks whether one's Village, Mohal or Panchayat etc. is included partially or completely under the jurisdiction of TCP Act or not.



4.4 Toll Free Number

A toll-free number has been generated to facilitate the general public for their queries relating to various departmental activities of TCP Department.

4.5 Directory of professionals

A Directory of professionals registered with Town & Country Planning Department like Architect, Structure Engineer, Civil Engineer, Town Planner, Architectural Assistant, Draughtsman, Surveyor etc. has been prepared and is available on the departmental website so as to enable general masses to easily choose their consultant(s) for any construction work.

4.6 Micro Municipal Solid Waste Management

Efforts are being made for coverage of towns under solid waste management plant by setting up of demonstration Micro Municipal Solid Waste Management facilities having capacity to dispose of approximately 0.50 tons to 5 tons of waste at 10 different locations in HP as pilot projects on PPP mode for 10 years.



5. Transport

5.1 **Plying of Electric Buses & Taxis**

Extension of Electric Buses & Electric taxis facilities in other towns of the State apart from Manali-Rohtang Pass & around Manali town with a view to provide environment friendly, energy efficient and sustainable transportation facility to the public.



5.2 **Cash less Transport offices**



All the offices have been made cashless by installing Point of Sale (PoS) machines in all Regional Transport Offices (RTOs) for collection of taxes/fees. This encourages vehicle owners to pay their taxes/fees through different electronic modes thus making the

system transparent & accountable.

5.3 **Check Post Solution for vehicles entering in the State**

State has introduced online composite fees collection system for collection of composite fees from Contract Carriage Vehicles of other States coming to Himachal Pradesh. This system saves the time & inconvenience caused by physically visiting the Transport Office, while the department is able to collect taxes in a cashless, transparent and seamless way with existing manpower as manpower already deployed at Barriers is to be utilized to carry out enforcement work in different districts.

5.4 **Introduction of E-Challan Facility**

Through e-challan application developed by the NIC, the receipt of fine is given through SMS to the violator and the payments of fine are being made electronically through debit/credit card etc. The end to end automation of processes will ensure efficiency at each level of users. The e-challan system will facilitate the creation of data-base of traffic violators which will be recorded in the central data bank and the quantum of penalty will be scaled up for repeating the offence.

5.5 Dealer Point Registration System

Standard operating procedure for the dealer point registration of personalized vehicles has been notified by the State Government wherein registration certificate would be delivered by the dealer itself. The system has been made functional on pilot basis at Shimla and efforts are being made to make it operational throughout the State.

5.6 No Honking Campaign



To spread awareness regarding health hazards due to unnecessary honking that causes noise pollution, a mobile app to report any noise pollution complaints to authorities has been started to facilitate creation of no honking zones and towns.

5.7 Installation of GPS

GPS in all public transport & commercial vehicles will be introduced for real time monitoring & tracking of vehicle like exact location of vehicle, schedule of reaching the destination, parental monitoring in case of school buses & taxis and increased safety to the passengers especially vulnerable sections of society like children, specially-abled persons & women etc. while travelling alone.

5.8 Electronic Display Boards

Electronic display boards at bus stands/stops for displaying probable time of arrival of buses on various routes will be introduced in the State. This will be a dynamic, speedy and effective way to keep passengers informed on accurate and actual departure and arrival times, enabling them to more efficiently plan their trips and the transit agency to maintain or improve performance thereby increasing ridership & improving the customer experiences.



5.9 Swipe/Tap machines in Buses

Swipe/tap machines will be introduced in the buses for making payment through electronic cash cards to reduce hassle of passengers for payment.

5.10 Establishment of Mobile Automated Vehicle Inspection & Certification Station

Under the pilot scheme of Ministry of Road Transport and Highways, one technical centre for testing the road worthiness of transport vehicles on the basis of various identified parameters in a scientific manner has been approved at Baddi in Solan District. Based on the vehicle population in Himachal Pradesh, one centre will not be sufficient and there is a need to multiply the centre in State, which involves huge investment. Hence, State would also consider for setting up of mobile Inspection & Certification (I&C) centre under PPP mode instead of fixed lane.

5.11 Installation of ropeway & other mass rapid transport system as public transport system.

To provide connectivity by means of eco friendly ropeways and other over head transportation system to connect left out habitation, to decongest cities Shimla, Dharamshala, Manali, Mandi etc. This will provide hassle free eco friendly, free from traffic jams, time saving, first and last mile connectivity to the general public and will be a big step in ease of living.

6. Public Works



6.1 Maintenance and upkeep of Rural Roads

Routine Maintenance of Roads through innovative methods like Performance Based Maintenance Contracts (PBMC) and Community Contracting has been initiated in the State so that the local villagers living near the road can maintain the roads themselves and get paid for that.

6.2 Employment opportunity at Local level

Services of local labour predominantly women & other community groups like self-help & women groups etc. are being engaged for road side plantations & maintenance of village roads, thus, providing seasonal/casual employment opportunity for Poor/BPL population.



6.3 Identification & rectification of Black spots

To reduce the number of accidents, accidents prone spots identified/recorded through Road Accident Data Management System (RADMS) of Police Department is being monitored regularly. Appropriate engineering measures wherever required are also being taken.

6.4 Mobile App for redressal of Public Grievances

A mobile App has been introduced by the Public Works Department to highlight the bad conditions of road by uploading any photo by any user on the App for taking necessary action by the quality wing of PWD and to resolve the grievances.

6.5 Third Party Quality Control Mechanism

For ensuring good quality of constructions as per specifications, third party Quality Control method has been introduced by establishing an independent Quality Control Check Squad/Flying Squad in Chief Minister's office to inspect the quality of all infrastructure works executed by all the departments/ boards/corporations, local bodies, all universities and state deposit works etc. engaged in various construction activities for development of infrastructure in Himachal Pradesh.

6.6 Public Information boards



Boards depicting project cost, specifications & other details have been installed at the project site with a view to ensure transparency & accountability in construction works.



6.7 Supervision & monitoring of works

For supervision & monitoring of development works being undertaken in the Gram Panchayats, regular consultation sessions with all stakeholders & village level committees are being organized regularly at GP level.



6.8 Himachal Road Improvement Scheme

Cross drainages under existing State roads are being provided under Himachal Road Improvement Scheme for better maintenance of existing road

infrastructure of HP.

7. Technical Education

7.1 Remedial Classes

Remedial Classes for all 1st year SC/ST and academically weak students in all Engineering Colleges of State Government have been started to improve the pass percentage.




7.2 Coaching for GATE

Special coaching classes for GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) for all the final year students of Engineering Colleges of State Government have been introduced to increase the number of GATE qualifying students in the State.

7.3 Induction Programme

Induction Programme has been started for the 1st year students of Govt. of HP Engineering Colleges to make the students feel comfortable in their new environment and create bonding in the batch as well as between faculty and students.



7.4 Swayam Prabha/Massive Open Online Course (MOOCs)

Subscription of Swayam Prabha/ MOOCs in Engineering Colleges of State Government has been introduced under Technical Education Quality Improvement Programme-III.

7.5 Startup Fests

Startup Fests has been introduced at Directorate level for Engineering and Polytechnics Colleges of State Government and Idea Labs have also been established in these institutes.



7.6 Incubation Centre

To develop entrepreneurship by turning educated youth from job seekers to job creators, various institutions in the State are being facilitated through Incubation Centers to build capacities, develop networking, establish necessary infrastructure and generate awareness under Chief Minister Startup/Innovation Project/New Incubation Scheme.

7.7 Online Fee Payment

Facility of Online Fee Payment in all the Technical and Vocational Institutions has been introduced.

8. Women & Child Development

8.1 With a view to improve overall sex ratio in State



सफल राष्ट्र का प्रण,
हर बेटी को जीवन

preventing gender biased sex selective elimination, ensuring survival, protection & education of girl child “Beti Bachao Beti Padhao” Yojna has



been introduced in nine Districts of the State and will be extended in the entire State.

8.2 Reduction in child malnutrition



Supplementary nutrition to bridge the gap between recommended dietary allowances & actual intake of food of an individual is



being provided through Anganwadis in the State.

9. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

9.1 Extra food grains

Extra food grains are being provided to all the consumers of the State at highly subsidized rates. The Other Than National Food Security Act (OTFSA) beneficiaries (APL Consumers) living at high altitude (Tribal Areas) are being provided with extra food grain (35 Kg per card per month).



9.2 Specially Subsidized Scheme

To compensate for rising prices, 3 kg pulses are being provided along with 2 liters edible oil (1 Mustard Oil & 1 Soya Refined oil) & 1 kg Iodized salt per ration card holder of the State with an option to choose any 3 of the pulses out of four options available under State Specially

Subsidized Scheme.

9.3 Himachal Grihini Suvidha Yojna

This scheme was started to empower women and to protect the environment by providing clean and smokeless fuel to all those eligible households of State not covered under Ujjwala Yojna. A bonafide resident having no domestic LPG connection of his own or under any State/ Centrally Sponsored Scheme is eligible for the benefit under this scheme.

LPG gas connections to the households Eligibility, Benefits & Registration	ELIGIBILITY: Women & households in Himachal Pradesh BENEFITS: LPG connection
--	---

9.4 Linkage of Ration Cards with Aadhaar

To remove duplicity of ration cards if any, 100% seeding of Aadhaar Number of beneficiaries with their ration card is being ensured so that the benefit reaches the actual beneficiaries.

9.5 Android Based PoS Devices

Android Based PoS devices have been installed with biometric authentications features at all Fair Price Shops to check the pilferage of food grains.

9.6 Information through SMS

SMS based information regarding availability of food grain is being provided to the consumers on their registered mobile numbers as and when the stocks are received at the attached/their fair price shop.



9.7 Availability of Ration Card on Digilocker

To facilitate the consumers, ration card has been made available at Digilocker application. The consumers can get print their ration card from the transparency portal “epds.co.in”

9.8 SMS based cash memo and Cashless transactions at FPSs

To facilitate the beneficiaries, SMS based cash memo through registered mobile number and cashless transactions at FPSs is being developed.

10. Agriculture

10.1 Soil Health Cards

Soil Health Cards are being issued to the farmers indicating nutritional status of their soil along with recommendations for crops to be sown.



10.2 Farm equipments/machinery



Provision of 50% assistance on purchase of implements and machinery which have already been approved / tested by the Farmers Machinery Training and Testing Institute and other GOI approved testing centers is available. In addition, 40% assistance is also available under this scheme on establishment of Farm

Machinery Banks for Custom Hiring Centers. Farmers are free to choose machinery of their choice from amongst the empanelled companies.

10.3 Protected Cultivation

Protected cultivation is being promoted in a big way by providing 85% assistance on polyhouse cost leaving only 15 % to be borne by the farmers. Free of cost trainings on protected cultivation to farmers would also be the part of this initiative to equip them with latest technical knowhow related to protected cultivation to get remunerative returns.

10.4 Solar Fencing:

Mukhya Mantri Khet Sanrakshan Yojna has been introduced to



Himachal Pradesh Saur Sinchayee Yojana

protect crops from wild & stray animals and monkey menace. Under this scheme 80 % assistance is being provided to individual farmers and 85% for group consisting of 3 or more farmers. 28 service providers across the State are empanelled and the farmers are free to avail services of any of the

empanelled service providers.

10.5 Saur Sinchayee Yojna

Under this scheme solar photovoltaic pumping system along with necessary infrastructure for which 90% assistance is proposed to be provided to small and marginal farmers and 80% to medium and large farmers. 6 companies have already been empanelled and the citizens are free to avail the services of empanelled companies for installation of solar photovoltaic pumping system.

10.6 Micro Irrigation technologies

Water use efficiency is being increased from the existing level of 20%-30% to 60% - 70% through Micro Irrigation Scheme i.e. sprinklers and drip irrigation for which 80% assistance is being provided to the farmers having assured water source. 18 service providers have been empanelled for facilitating the farmers. The required application form alongwith other comprehensive guidelines are available on the Department website i.e., www.hpagriculture.com.

11. Animal Husbandry

11.1 Health Cards for monitoring the health of Cattle

7.78 lakh health cards (Nakul Swasthya Patra) under “Pashu Sanjivani Scheme” has been procured and distributed to field institutions to benefit the farmers for maintaining and monitoring the health of cattle.




12. Irrigation and Public Health

12.1 Water Conservation measures



More check dams and ponds are being constructed for water percolation and conservation.



12.2 Har Khet Ko Pani

New programme to ensure sustainable irrigation facility to each field till tail end for ensuring percolation of water to recharge aquiferous under ground level has been introduced at State level.

12.3 Management of irrigation schemes

Krishi Vikas Sanghs (KVS) and Water Users Associations (WUAs) are being encouraged to operate & maintain existing water supply & irrigation schemes.

12.4 Online Water Bills

Automating water billing & payment system for on line billing & collection of water bills is under process and will be implemented soon.

12.5 Ground Water exploration

Online application and approval for installation of hand pumps is under process.



13. Education

13.1 Model Residential Schools:

Under “Mukhya Mantri Adarsh Vidya Kender Yojna” (now renamed as Atal Adarsh Vidyalaya Yojna), one model residential school is being established in 10 legislative constituencies, where Navodya schools and Eklavya Schools do not exist. In these schools free education with free hostel facilities will be provided to children. Some of these schools will specifically be for girls in constituencies with lower population & literacy rate of girls.



13.2 Improving proper learning environment in the schools

Free text books & braille books, large printing books alongwith provision of ramps & rails in schools for Children with special needs (CWSN) are being provided to all students to build and upgrade disability & gender sensitive

educational facilities and to provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environment. Provision of supplementary reading materials including mathematics kits at primary level to ensure better learning environment in the schools has also been made.

13.3 Digital Education

All colleges and schools in the State are being covered under ICT in a phased manner by equipping them with smart class rooms for having access to digital education.



13.4 Atal Tinkering Labs

These labs are being established with a view to increase the number of Schools with Atal Tinkering Labs.

14. Forest

14.1 Vidyarthi Van Mitra Yojna:



This scheme aimed at generating awareness on the importance of forests and environment among school children. Under this scheme blank



areas/degraded forest areas ranging from 0.5 hectare to 2 hectare are being earmarked to various schools for raising plantation and its subsequent maintenance by school children.

14.2 Samudayik Van Samvardhan Yojna



This scheme envisages strengthening participation of local communities in conservation and development of forests through plantation of useful species and community management of forests. The programme aims to improve the tree cover and quality on suitable areas of

open/degraded forest lands around selected villages, through active involvement of Joint Forest Management Committees/Village Forest Development Societies.

14.3 Van Samridhi-Jan Samridhi Yojna

This scheme has been introduced to enhance economic returns to the rural households engaged in collection and selling of Non Timber Forests Produce (NTFP) including medicinal plants through the formation of Community



User Groups. Besides interventions for improving post-harvest handling, value addition and marketing, the scheme seeks to protect and strengthen the natural NTFP resource base in the long run, for ensuring improved livelihoods to communities.

14.4 Online Services

Various software modules have been developed for the purpose and are in use, such as Forest Industries Management System (for renewal of any forest based industry), Online booking of Forest Rest Houses under Eco Tourism, Online Recruitment of Forest Guards etc. In addition, a mobile application (FORMS) is currently being developed to enable public interface with forest field functionaries regarding illegal activities/offences in forests.

15. Social Security & Grievances Redressal:

15.1 App for safety of women

An app for the safety of women has been launched at State level. A woman at the time of distress can press the red button on the mobile app and an alert will immediately reach the Police Response Team. Shaking the device will also trigger the app to send its location through GPS. Once triggered, the app automatically sends a message to the nearest police control room. Any woman at the time of any eventuality can call on this dedicated toll free number for police help.



15.2 Helpline toll free number for checking illegal activities

Information gathered through a toll free number is being used to crack down the activities of drug, forests and mining mafia and being monitored round the clock by the Chief Minister's Office.

15.3 On-the-spot redressal of public Grievances

To bridge the gap between people & Government and to redress the grievances of people at their door-steps, all the Ministers of the State Government are organizing regularly “Jan Manch” every month in remote



जन मंच
नागरिकों की सुविधा के लिए
मुख्यमंत्री कार्यालय, हिमाचल प्रदेश



areas of the district to resolve the problems of local people on the spot. The Officers of all major departments remained present on the occasion to facilitate grievance redressal.

15.4 Ensuring Equal Employment Opportunities for women in factories

Employment of women in three shifts in factories in HP has been permitted by the State Govt. for the units which have been registered under Factories Act, 1948 subject to certain conditions.



15.5 Women Police Stations

Eleven Women Police Stations have been established in the State for exclusively dealing with matters related to women and are entrusted with the task of providing pre-registration counseling in matrimonial disputes, dowry, domestic violence, adultery, rape and molestation cases, instilling confidence among women.

15.6 Vigilance Complaints Monitoring System (VCC) - The main objective of this module is to facilitate interactions between the public and SV&ACB. It provides facilities for submitting online complaints/information to the SV&ACB Police Stations.



15.7 Jail Varta (Prisoner-relative Video Conference System)

Prisoner-relative Video Conference System is the facility being provided to relatives by the jail authorities to fix a video conferencing session with their acquaintance prisoners.

16. Rural Development and Panchayati Raj

16.1 Self-Employment to rural youth

20 more days of employment have been included under MGNREGA for ensuring self-employment to rural youth.



16.2 Moksh Dham

Crematoriums or “Moksh Dhaams” are being constructed in phased manner in each panchayat to provide dignity to the departed soul.



16.3 Jan Adhikar Pustika

A booklet on various welfare schemes of the State Government specifying the procedure to avail benefit under them is available on Him Pragti Portal of State Government.

16.4 Digitization of PRIs/ULBs.

Digitization of PRIs & ULBs for entering/uploading data related to local bodies online to bring transparency & efficiency in their functioning has been introduced.

16.5 Digitalization of Pariwar Register and issuance of online pariwar nakal

All Gram Panchayats have digitized the manual Panchayat Pariwar Register. Now, pariwar nakal is being issued online. Any person on its own or through Lok Mitra Kendra can obtain the pariwar nakal online without any problem. The copy of pariwar nakal can be obtained through e-district portal of the State Government.

16.6 Online availability of Birth and Death registration and issuance of certificate

Entire data pertaining to birth and death has been digitized and linked with pariwar register. The registration of birth and death and issuance of certificate thereof can be obtained online from Lok Mitra Kendra.

16.7 Online availability of marriage registration and issuance of certificate

Online registration for marriage can be applied and certificate thereof can be obtained from e-district portal of State Government from any Lok Mitra Kendra.

16.8 Online availability of BPL certificates

BPL Certificates can also be applied and obtained online through e-District Portal of State Government. This service can also be availed from Lok Mitra Kendra.

17. Programs for Self Employment/Skill Development:


17.1 Mukhya Mantri Swavlamban Yojana

To encourage local entrepreneurship and to provide more self employment opportunities, Mukhya Mantri Swavlamban Yojana has been introduced in the State. Under this scheme capital subsidy on plant and machinery upto an investment of Rs. 40 Lakh in Industries is being provided to Himachali Youths. Government land will also be provided at concessional lease rate of 1 percent.

18. Tourism

18.1 Nayi Rahein Nayi Manjilen

Under this scheme virgin destinations are being identified for improvement of road infrastructure, transport, parking's and other basic amenities for enhancing the tourism avenues at state levels.



18.2 Heli Taxis Services

Heli Taxis Services have been operationalized on identified heli taxi routes.

18.3 Introduction of Ropeways

Efforts are being made for installation of ropeways to minimize flow of vehicles in pristine areas.



19. Environment, Science & Technology

19.1 Online Environmental Clearance

Online submission of application for seeking environmental clearance has been introduced for enhancing the speed, transparency and accountability in the entire process of grant of environmental clearance.